

उत्तराखण्ड सरकार
वित्त अनुभाग—९
संख्या— 33/XXVII(9)/स्टाम्प/2008
देहरादून: दिनांक 31 मार्च, 2008
अधिसूचना

चूंकी राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है;

अतः भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने की तारीख से वीर चन्द गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत रु० 20/- (बीस) लाख की सीमा तक के ऋण प्राप्त करने के लिये बैंक के पक्ष में निष्पादित भूमि के पंजीकृत बन्धक विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट देने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या— 33(1)/XXVII(9)/स्टाम्प/2008 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव एवं आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून उत्तराखण्ड।
5. उप-निदेशक, राजकीय प्रेस रुड़की को इस अनुरोध सहित कि वे हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना को उसी दिनांक के आसाधारण गजट के भाग 4 खण्ड (ब) में प्रकाशित कराते हुये उसकी 200—200 प्रतियाँ शासन के वित्त अनुभाग—९ को अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
6. न्याय/विधायी अनुभाग।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एल०एम० पन्त)
अपर सचिव।